न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 160/2012 दायरा दिनांक : 11.05.2012

उनवान

देवलाल आत्मज भागीरथ, जाति माली, निवासी कोली हाल निवासी कालीदास कालोनी, झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

.... अपीलांटगण

बनाम

1– सीताराम आत्मज भागीरथ, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2– रोडी बाई पुत्री भागीरथ पत्नी रामचन्द्र, जाति माली, निवासी लखोनी, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

3– कंकूबाई पुत्री भागीरथ पत्नी बालचन्द, जाति माली, निवासी डूंगरगॉव, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

4– देवीलाल आत्मज पूरा, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

5– मथुरा लाल आत्मज .... जाति माली, निवासी कुशलपुरा तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

6– घीसा आत्मज मथुरा, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

7– जगदीश आत्मज मथुरा, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
मोटा

रमेश बहादुर सिंह चारण
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

8– लाल चन्द आत्मज मथुरा, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

9– पारी बाई पुत्री मथुरा, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

10– नोरंग बाई पुत्री मथुरा, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

11– रतन बाई पुत्री पूरा, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

12– बालू आत्मज गोपी, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

13– गुलाब बाई पत्नी उदा, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

14– सीता बाई पत्नी प्रभूलाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

15– श्री रतन लाल वल्द काना, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

16– मोती लाल वल्द काना, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

17– शांति बाई विधवा काना, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

18– गुलाब बाई पत्नी उदा, जाति तंवर लोढ़ा, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड **(कम संख्या 13 पर दर्ज है)**

19– शिव लाल आत्मज उदा, जाति लोढ़ा, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

20– गोपी लाल आत्मज उदा, जाति लोढ़ा, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

21– कमला बाई पुत्री पन्ना लाल, जाति माली, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

22– धापू बाई पत्नी भैरू लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी कोली तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

23– पन्नी बाई पत्नी भैरू लाल, जाति लोढ़ा तंवर, निवासी ग्राम कोली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

24– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – अभिभाषक बी एल माहेश्वरी अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.07.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 153/2011 निर्णय दिनांक 17.04.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कोली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड की आराजी जमाबंदी सम्वत 2055–2058 के खाता संख्या 34 की खसरा नम्बर 81 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 87 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 92 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 93 रकबा 2 बीघा 15

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश [illegible] सिंह पाल
[illegible]
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 649 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 650 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 651 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 653 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 699 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 491/679 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 24 कुल रकबा 30 बीघा आराजी लगानी 68.91 पे स्थित है, जिसके सम्बन्ध में विवादित है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट तथा रेस्पोडेंट नम्बर 4 लगायत 24 के खिलाफ पेश किया जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें चाहा गया कि प्रार्थीगण के अधिकारों एवं कब्जे को अप्रार्थीगण भंग न करें एवं विवादित आराजियात के अन्तरण न करें, तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें जिसका जवाब अपीलांट की ओर से दिनांक 28.2.2012 को पेश किया गया एवं कथन किया कि अपीलांट प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजियात में 1/4 हिस्से का सहखातेदार टीनेन्ट है। प्रार्थीगण का कोई नाम विवादित आराजियात पर सहखातेदार की हैसियत से दर्ज नहीं है, न उनका कोई कब्जा विवादित आराजियात पर है। प्रार्थीगण ने अपीलांट के पक्ष में रिलीज डीड पंजीयत कराकर उनका जो हक विवादित आराजियात में था वह अपीलांट के पक्ष में रिलीज कर दिया। रिलिज डीड को किसी भी दीवानी न्यायालय से अवैध घोषित नहीं कराया गया जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया असत्य है एवं उन्हें कोई अपरिमित क्षति होने की संभावना नहीं है न सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है जिसके बाद बहस समाअत की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के खिलाफ रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 के पक्ष में अपीलांट के विरूद्ध ता–फैसला स्थगन आदेश जारी कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का

टंकणकर्ता
[signature]

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

आदेश पत्रावली पर आयी दस्तावेजी एवं शपथ पर पेश की गई साक्ष्य के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलततौर से रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र होना निर्णित किया है जो निर्णय मनमाना है, परवर्स है एवं केप्रिसियस है तथा अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आदेश में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 को सारवान नुकसान होना भी नहीं माना है जिस कारण विधि विरूद्ध अपीलांट के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 के पक्ष में निर्णीत किया है जबकि विवादित आराजियात के वह न तो सहखातेदार टीनेन्ट हैं, न खातेदार टीनेन्ट हैं, न काबिज काश्तकार हैं जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आयी साक्ष्य के आधार पर प्राईमाफेसी केस सुविधा का संतुलन अपरिमित क्षति तय करना चाहिए जो न कर मनमाने तौर से निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2012 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
मेरा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्ट... ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2012 यथावत जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टे[illegible] ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा